प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 05/2021 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 01.04.2021
निर्णय दिनांक - 23.04.2021

श्री संतोष कुमार जैन, निवासी बी-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री संतोष कुमार जैन, निवासी बी-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 26.03.2021 (दिनांक 31.03.2021 को जरिये डाक से प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 01.04.2021 से श्री संतोष कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि जब कार्यालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया पात्रता के अभाव में अपनाई ही नहीं गई तो वांछित सूचना देना संभव नहीं है। मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया कि पदोन्नति नियम शासकीय विभागों के पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य नहीं है। अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया कि इस कार्यालय में संस्थापन अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है तथा पद आवंटन हेतु कोई पत्र नहीं लिखा गया है। अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता है कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1407 दिनांक 07.04.2021 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ईमेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया जरिये ईमेल एवं डाक से प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी ने कथन किया कि सूचना की परिभाषा एवं अपने दायरे में सही वास्तविक, जरूरी प्रश्न लगने वाले सूचनाओं/जानकारियों के बिन्दुओं का प्रत्युत्तर/जवाब देना निहायत इस एक्ट में अन्तर्गत आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने सातो बिन्दुओं में एक भी बिन्दु ऐसी कोई सूचनाएं/जानकारियां नहीं चाही है जो नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आपके संभाग कार्यालय द्वारा कोई कार्य क्यों किया गया अथवा क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय की कोई भी सूचना/जानकारी नहीं चाही है लेकिन आपके संभाग कार्यालय के भी अधिकारियान/कर्मचारियान के हित में एवं स्वयं उदयपुर संभागी कार्यालय के भी हक/अधिकार हेतु अपीलार्थी जरूरी एवं सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत दी जानी वाली सूचनाएं/जानकारी ही मांग रहा है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील, अपील पर जवाब एवं उक्त प्रा.पत्र/लिखित बहस पर मनन करके, अध्ययन करके न्यायोचित निर्णय प्रदान करें।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध आक्षेप प्रस्तुत किया कि आपके कार्यालय में पात्रता के अभाव में संभाग के अन्य जिला कार्यालयों में पात्र अधिकारयान/कर्मचारियान पदस्थापित है, इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया गया या नहीं, यदि नहीं तो ढिलाई का क्या कारण रहा है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया जो किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है। ऐसे में हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है कि प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत आक्षेप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सूचनाओं के परे किया गया है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से ग्राह्य योग्य नहीं है।

विधिक स्थिति यह भी है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया जो किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है। ऐसे में हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है कि पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को उक्त प्रावधानोंनुसार ससमय सूचित कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील के अन्य बिन्दुओं एवं विशेष कारणों में यह कथन भी किया गया कि सूचना की परिभाषा एवं अपने दायरे में सही वास्तविक, जरूरी प्रश्न लगने वाले सूचनाओं/जानकारियों के बिन्दुओं का प्रत्युत्तर/जवाब देना निहायत इस एक्ट में अन्तर्गत आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने सातो बिन्दुओं में एक भी बिन्दु ऐसी कोई सूचनाएं/जानकारियां नहीं चाही है जो नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था, या वह क्यों किया गया, या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रदान की गई सूचना की व्याख्यान करने की अपेक्षा रखता है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है।

उपरोक्त विवचेन एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2021 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री संतोष कुमार जैन, निवासी बी-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर